फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री मुकेश चन्द्र गाडरी निवासी लठिया खेड़ी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द – **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा – **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या** 57 / 2024

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाए जारी की गई
	दिनांक 21.08.2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा से जरिये पृष्ठांकित अपीलार्थी क्रमांक / आरटीआई / 2024 / 765 दिनांक 06.08.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी श्री मुकेश चन्द्र गाडरी निवासी लाठियाखेड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो प्रार्थना पत्र ऑनलाईन किया गया था। वह तहसीलदार रेलमगरा की आरटीआई पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा था। अतः प्रार्थी श्री मुकेश चन्द्र गाडरी निवासी लाठियाखेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत आवेदन की जानकारी इस कार्यालय में नहीं होने से उसके प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही नही की गयी। एवं प्रथम अपीलीय पत्र तहसील कार्यालय में दिनांक 30.07.2024 को प्राप्त हुआ है उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना हिन्दुस्तान जिंक एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड राजपुरा दरीबा हाल मुकाम सिन्देसर कला स्थिति आराजी संख्या 1233 / 1532, 1735 / 712, 711 को औद्योगिक संपरिवर्तन हेतु फाईल प्रस्तुत की उक्त फाईल के संबंध में पटवारी हल्का या कमेठी गठित की गई उसकी जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि चाही गयी है। जिसके सम्बन्ध में निवेदन है कि औद्योगिक प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन तहसील कार्यालय द्वारा नहीं किया जाता है। उक्त प्रकरण से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का मूल दस्तावेज इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है जिससे अपीलार्थी को सूचना दिया जाना संभव नहीं है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना हिन्दुस्तान जिंक एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड राजपुरा दरीबा हाल मुकाम सिन्देसर कला स्थिति आराजी संख्या 1233 / 1532, 1735 / 712, 711 को औद्योगिक संपरिवर्तन हेतु फाईल प्रस्तुत की उक्त फाईल के संबंध में पटवारी हल्का या कमेठी गठित की गई उसकी जांच रिपोर्ट की	

न्यायालय जिला कलक्टर

प्रतिलिपि चाही गयी है। जिसके सम्बन्ध में निवेदन है कि औद्योगिक प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन तहसील कार्यालय द्वारा नहीं किया जाता है। उक्त प्रकरण से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का मूल दस्तावेज इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है जिससे अपीलार्थी को सूचना दिया जाना संभव नहीं है। उक्त संबंध में अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना के संबंध में नियामानुसार जिला कलक्टर कार्यालय राजसमन्द में आवेदन कर वांछित सूचना प्राप्त करें। अतः उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)